

न्यायालय - मोतिश कुमार सिंह, सत्र न्यायाधीश, सिवान।
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या - 23/2026

अमित पाण्डेय
बनाम
बिहार सरकार

26-05-2026

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार सिंह की ओर एक आवेदन इस आशय का दाखिल किया गया है कि वह प्रस्तुत फौजदारी प्रकीर्ण वाद को वापस लेना चाहते हैं। अतः प्रस्तुत फौजदारी प्रकीर्ण वाद को वापस लेने की अनुमति दी जाए। इनका मौखिक कथन है कि प्रश्नगत् फौजदारी प्रकीर्ण वाद त्रुटिवश दाखिल हो गया है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख पर संबंधित अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह का हस्ताक्षरयुक्त वकालतनामा उपलब्ध है। संबंधित अधिवक्ता अपने फौजदारी प्रकीर्ण वाद को स्वयं वापस लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में **प्रश्नगत् फौजदारी प्रकीर्ण वाद को वापस लेने के आधार पर खारिज किया जाता है।** इस मंतव्य के साथ प्रश्नगत् फौजदारी प्रकीर्ण वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार, सिवान में जमा करें।

लेखापित

sd/-

सत्र न्यायाधीश, सिवान।
26-05-2026

Date of Judgement/order	26-05-2026
Date of Reserving Judgement/ Order	26-05-2026
Date of Uploading	30 -05-2026
Uploaded by	Ajit kumar